मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
16	मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य	आत्म बोध, परस्पर सम्बन्ध, कौशल, सृजनात्मक सोच	अपने मौलिक अधिकारों को समझना तथा मौलिक कर्त्तव्यों का निर्वाह करना

अर्थ

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को कुछ आधारभूत और मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं, लेकिन दुनियां के कई देशों में लोग अभी भी इन अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इस अध्याय का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार और कर्त्तव्यों का अध्ययन करना है।

- **अधिकार:** अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक हैं तथा समाज एवं राज्य द्वारा स्वीकृत हैं।
- **कर्त्तव्य:** कर्त्तव्य वे व्यवहारगत कार्य होते हैं जिनकों करने की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व के रूप में कर्त्तव्य जुड़े होते हैं।

मौलिक अधिकार

राज्य द्वारा स्वीकृत तथा संविधान में उल्लिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। वे न्यायसंगत होते है। संविधान के भाग-III में वर्णित छः मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं-

1. समानता का अधिकार

- विधि/कानून के समक्ष समानता
- भेदभाव की मनाही
- अवसरों की समानता
- अस्पृश्यता का अन्त
- उपाधियों की समाप्ति

2. स्वतंत्रता का अधिकार

- विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता
- संगठन बनाने की स्वतंत्रता
- देश के अन्दर भ्रमण की स्वतंत्रता
- देश के किसी भी भाग में स्थायी निवास की स्वतंत्रता
- आजीविका कमाने की स्वतंत्रता
- उपरोक्त छः स्वतंत्रताओं के अलावा स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह हमें स्वेच्छाचारी/मनमानी गिरफ्तारी से भी सुरक्षा प्रदान करता है।

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार

मानव व्यापार, बलात् श्रम तथा 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने की मनाही।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

भारत एक पंथनिरपेक्ष/धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह प्रत्येक धर्म के लोगों को धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान करता है।

5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, संस्कृति और धर्म को सुरक्षा प्रदान करता है।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिकों को न्यायालय में अपील करने की शक्ति प्रदान करता है।

मानव अधिकारों के रूप में मौलिक अधिकार

- भारत का संविधान कई मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है।
- भारत मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति वचनवद्ध है।
- इस उद्देश्य से 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गयी।

मौलिक कर्त्तव्य

- 42वें संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा संविधान में दस मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गये। एक और मौलिक कर्त्तव्य 2009 में शिक्षा के अधिकार के द्वारा इस सूची में बढ़ाया गया।
- कुछ मौलिक कर्त्तव्य है – संविधान का पालन करना तथा संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना
- भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता का सम्मान करना
- देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवायें समर्पित करना
- वैज्ञानिक सोच का विकास

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. मौलिक अधिकार क्या हैं? वे क्यों आवश्यक हैं?

प्र. समानता के अधिकार की व्याख्या करो? यह किस प्रकार नागरिक की गरिमा को स्थापित करता है?

प्र. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सभी मौलिक अधिकारों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?